कारों एवं अभि
आदि के हस्ताक्षर

(14)

नि० 1709/एम/14
देवास

1 बापुलाल पिता गंगाराम जाती गारी आयु 47, व्यवसाय कृषि निवासी महिदपुर
2 राजीबाई पति बगदीराम जाती गारी आयु 50, व्यवसाय कृषि एवं गृहकार्य निवासी महिदपुर जिला उज्जैन

................आवेदक / प्रतिप्रार्थी

विरूद्ध

गिरधारी लाल पिता अम्बाराम जी जाती गारी आयु 48, व्यवसाय नौकरी व कृषि निवासी महिदपुर जिला उज्जैन

..........................अनावेदक / प्रार्थी

(15)

बापूसिंह विरूद्ध गिरधारीलाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1709 –एक / 14 जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–5–14	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह मांग किए जाने पर कि उनके द्वारा कराए गए सीमांकन प्रकरण क्र. 41/अ–12/09–10 को तलब किया जाये पर से अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि वर्तमान प्रकरण सर्वे नं. 32 के सीमांकन के संबंध में है जबकि उक्त प्रकरण में इस नंबर का उल्लेख नहीं है । उक्त आधार पर उन्होंने प्रकरण क्र. 41/अ–12/09–10 को वर्तमान प्रकरण के साथ संयोजित किया जाना तर्क संगत न मानते हुए आवेदक का आवेदन खारिज किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	